राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –107/2024
अन्तर्गत
अपील संख्या–1082/2024

गजानन्द वर्मा

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री हरिराम मीना, मुख्य कार्यकार अधिकारी, जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
2. श्री लखन सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाईमाधोपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.07.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिहं, अभिभाषक
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री राजेश निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. पूर्व में अपील संख्या 1082/2024 में इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 19.03.2024 पारित कर अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश दिये गये थे तथा यह भी आदेश दिया था कि अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। इसके पश्चात अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 22.03.2024 को उक्त संबंध में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु फिर भी अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया।
2. वर्तमान में अपीलार्थी ने यह अवमानना याचिका प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 19.03.2024 की पालना में अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया है। इस प्रकार अधिकरण के आदेशों की अवमानना की जा रही है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से इस अवमानना याचिका का जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अधिकरण के आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 08.07.2024 को ग्राम पंचायत, बौली में कार्यग्रहण करवा दिया गया है। इस प्रकार अधिकरण के आदेशों की पालना वर्तमान में की जा चुकी है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को स्थगन आदेश पारित होने के पश्चात अभी तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि वर्तमान पद रिक्त नहीं है, इस कारण से अपीलार्थी को बकाया वेतन का भुगतान किसी रिक्त पद से कर दिया जाएगा।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता के उक्त तर्क से सहमत है।

6. अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अवमानना याचिका में कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)